

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख चक 1 पी बडी के खाता संख्या 28/69, मु0 नं0 30,33 की कुल 5.315 हे0 मेंसे स्व0 परमेश्वरी देवी के नाम दर्ज 1.065 हे0 में से 1/4 हिस्सा का वादी राकेश कुमार को खातेदार काश्तकार व शेष 3/4 हिस्सा का प्रतिवादी अशोक कुमार को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 31.07.2019 के अनुसार वादी श्री राकेश व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अशोक कुमार, सुनीता पत्नि मनुपाल, सुनीता पत्नि अनिल, सोनू को चक 1 पी बडी के खाता संख्या 28/69, मु0 नं0 30,33 की कुल 5.315 हे0 में से स्व0 परमेश्वरी देवी के नाम दर्ज 1.065 हे0 में से 1/4 हिस्सा का वादी राकेश कुमार को खातेदार काश्तकार व शेष 3/4 हिस्सा का प्रतिवादी अशोक कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05 अगस्त, 2019 को जारी किया गया।

MP
मुकेश बारैठ
सहायक (आ.स.ए.स.) एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर